भोपाल दिनांक 22 फरवरी 2025

क्रमांक– एफ 0092/2025/1/65 : राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1. परिशिष्ट–1 अनुसार "मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वदयन योजना, 2025" जारी करता है।
2. विभाग द्वारा प्रदेश में उपयुक्त स्थान पर एक मेगा इन्क्युबेशन सेंटर का विकास एवं संचालन राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय स्तर की अग्रणी संस्थाओं के साथ सार्वजनिक–निजी भागीदारी (Public Private Partnership) अंतर्गत स्थापित कर इसके सेटेलाईट सेंटर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी स्थापित किया जावे।
3. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत स्टार्टअप्स को बैंकों के माध्यम से कोलेट्रल फ्री ऋण (Collateral Free Loan) उपलब्ध कराकर उन्हें भारत सरकार की स्टार्टअप्स हेतु ऋण गारंटी स्कीम (Credit Guarantee Scheme for Startups) अंतर्गत कवरेज तथा प्रचलित दर पर देय गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति (अधिकतम 05 वर्षों तक) एवं वितरित ऋण पर 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान प्रतिपूर्ति (अधिकतम 05 वर्षों तक) की जावे।
   मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को इस आशय तक संशोधित मान्य किया जावे।
4. मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2025 के प्रभावशील होने के दिनांक से मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 को निरसित किया जावे।
5. प्रारूप नीति के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की लिपिकीय/तकनीकी त्रुटि अथवा विसंगति होने पर मुख्य् सचिव की सहमति से संशोधन करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया जाता है।

2/ यह आदेश मंत्रि–परिषद के आयटम क्रमांक 2 दिनांक 18 फरवरी, 2025 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, उपसचिव.

परिशिष्ट–एक

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2025

MSME

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

विषयवस्तु

1. परिचय
2. विजन
3. मिशन
4. उद्देश्य
5. नीति फोकस क्षेत्र
6. नीति की अवधि और प्रयोज्यता
7. परिभाषाएँ
8. स्टार्टअप इकोसिस्टम एनेबलर्स
9. राज्य में स्थापित स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता
10. विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए विशेष पैकेज -
11. राज्य में स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर के लिए विशेष वित्तीय सहायता
12. स्टार्टअप के लिए विशेष कार्यक्रम
13. शासन की शक्तियाँ
14. क्षेत्राधिकार
परिशिष्ट - 1 प्राथमिकता क्षेत्र की सूची
परिशिष्ट - 2 प्रतिष्ठित विज्ञापन प्लेटफार्म
मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप कार्यान्वयन योजना, 2025

म.प्र. स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2025

1. परिचय

राज्य शासन की निवेश मित्र नीतियों, उद्योग एवं व्यापारिक क्षेत्र में सरलीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना में उल्लेखनीय प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्षों में प्रदेश में निवेश वातावरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य शासन का यह प्रयास रहा है कि नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक संख्या में रोजगार सृजन किया जा सके। मध्यप्रदेश शासन ने नवाचार, रोजगार और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना है। इस हेतु स्टार्टअप को वैश्विक बाजारों और अत्याधुनिक तकनीकों तक पहुँच बनाने में सक्षम तथा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और मध्यप्रदेश को देश का आदर्श एवं जीवंत स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने हेतु कार्य जारी है।

नवाचार एवं स्टार्टअप की गतिशीलता, वैश्विक आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, विनियामक संशोधनों, भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति एवं भारत सरकार के राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क में हुए बदलाव एवं इस सबसे ऊपर विकसित भारत, राज्य शासन के संकल्प एवं विकसित मध्यप्रदेश के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान स्टार्टअप नीति का एक और पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। नवाचार और स्टार्टअप की गतिशीलता, वैश्विक आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, विनियामक संशोधनों, भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति और राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग और अति महत्वपूर्ण विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश के साथ मध्यप्रदेश संकल्प 2023 उददेश्यों की पूर्ति हेतु नीति का एक और पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। अतः स्टार्टअप नीति को अधिक समग्र, समावेशी, एकीकृत एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा "म.प्र. स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2025" लागू करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य शासन ने नवीन नीति अन्तर्गत स्कूल/महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्टअप की भावना जागृत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। नीति को व्यापक रूप से लागू करने के लिए शासन के विभिन्न अंगों को नीति के प्रावधानों को प्रभावी रूप से अंगीकृत करने के लिए समेकित व्यवस्था की गई है। स्टार्टअप को विभिन्न स्तर पर फण्ड उपलब्ध कराये जाने एवं विभिन्न समस्याओं का समाधान नवाचार के माध्यम से करने के लिए सीड फण्ड, कैपिटल फण्ड, हैकेथोन, इन्क्यूबेशन सपोर्ट प्रोग्राम, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से कॉलेटरल फ्री ऋण/ब्याज अनुदान एवं ऐक्सेलेरेशन कार्यक्रम को शामिल किया गया है।

नीति को मात्र वित्तीय सहायता तक सीमित न रख स्टार्टअप को संस्थागत, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, बुनियादी अधोसंरचना, राज्य की उपार्जन नीति, विपणन तथा अन्य प्रोत्साहनात्मक सहयोग प्रदान करना उद्देश्य है।

2. विजन

मध्यप्रदेश को वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करना, जो नवाचार, पूँजी सृजन और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करे। यह पारिस्थितिकी तंत्र रोजगार सृजन, स्थिरता, निवेशकों के विश्वास, नैतिक राजस्व मॉडलों और समान अवसरों को बढ़ावा देगा।

3. मिशन

3.1 राज्य में एक सशक्त और समग्र स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जिससे राज्य देशभर में प्रमुख स्टार्टअप गंतव्यों में शामिल हो सके।

3.2 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक हस्तक्षेपों और उत्प्रेरक कार्यक्रमों के माध्यम से विकास करना।

3.3 नवाचार, कौशल विकास और निवेश के अवसरों के माध्यम से राज्य को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उच्च स्थान प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना।

4. उद्देश्य

मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2025 के मुख्य उद्देश्य:-

- मध्यप्रदेश में एक समग्र स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर, राज्य को देशभर में अग्रणी स्टार्टअप गंतव्यों (Startup Destinations) में से एक बनाना।
- सकारात्मक हस्तक्षेपों (Positive Interventions) और अन्य उत्प्रेरक कार्यक्रमों (Catalytic Programs) के माध्यम से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना।
- स्टार्टअप इंडिया, भारत सरकार द्वारा अधिमान्यता प्राप्त (recognized) स्टार्टअप्स की संख्या को 10,000 तक बढ़ाना।
- कृषि और खाद्य क्षेत्र में अधिमान्यता प्राप्त 100 स्टार्टअप को ग्रोथ स्टेज तक पहुँचाना।
- विनिर्माण आधारित स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि करना।
- प्राथमिकता क्षेत्रों में नवीन इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना और मौजूदा इन्क्यूबेशन सेंटर्स की क्षमता का विस्तार करना।
- स्कूल/महाविद्यालयीन स्तर पर छात्रों में नवाचार और स्टार्टअप की भावना विकसित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना।
- नवाचार और स्टार्टअप्स के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने की संस्कृति विकसित करना।
- भारत सरकार की राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क एवं प्रतिस्पर्धा प्रवृति के अन्य रैंकिंग

फ्रेमवर्क में उच्च स्थान प्राप्त करना।

- प्री-स्टार्टअप चरण (Pre-Startup Stage) और प्राथमिक चरण के स्टार्टअप्स को व्यापक सहयोग प्रदान करना।
- मध्यप्रदेश में कार्यरत सभी प्रमुख कंपनियों को उनके सीएसआर गतिविधियों के एक अभिन्न अंग के रूप में कॉरपोरेट नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल विकास, और निवेश तक पहुंच प्रदान करके राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करना।

5. नीति फोकस क्षेत्र

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति छः स्तंभों के अनुसरण पर केंद्रित है -

5.1 नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।

5.2 वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सहायता।

5.3 विनिर्माण आधारित स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन।

5.4 संस्थागत सहयोग।

5.5 विपणन सहयोग।

5.6 अधोसंरचना सहयोग।

6. नीति की अवधि और प्रयोज्यता

यह नीति मध्यप्रदेश में, अपनी अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, या किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक प्रभावी रहेगी।

7. परिभाषाएँ

7.1. **"अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड (AIF)"** से अभिप्रेत है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड) रेगुलेशन, 2012 अंतर्गत परिभाषित फंडिंग संस्थान।

7.2. **"होस्ट इंस्टिट्यूट"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश में स्थित कोई भी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान, औद्योगिक संस्थान/स्मार्ट सिटी कंपनियां एवं राज्य शासन और केंद्र सरकार की संस्थाए।

7.3. **"इन्क्यूबेटर"** से अभिप्रेत है एक ऐसा संगठन जो स्टार्टअप इकाइयों को प्रारंभिक चरण में सहयोग प्रदान करता हो और उन्हें व्यावसायिक सहायता, संसाधन और सेवाओं के द्वारा एक स्केलेबल व्यवसाय मॉडल विकसित करने में सहायता करता हो।

7.4. **"मध्यप्रदेश स्टार्टअप सलाहकार परिषद"** से अभिप्रेत है सलाहकारी परिषद प्रदेश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु आवश्यक उपायों पर सलाह देगी, ताकि सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें।

7.5. **"प्राथमिक क्षेत्र (Priority Sector)"** से अभिप्रेत नीति अंतर्गत परिशिष्ट - I में विभाग

द्वारा चिन्हित ऐसे कार्यक्षेत्र से है जो नवीन व भविष्य-उन्मुख हो और जिसमें आर्थिक विकास में योगदान की पर्याप्त संभावना हो। वैश्विक परिदृश्य एवं राज्य की आवश्यकता अनुरूप विभाग द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

7.6. **"विनिर्माण आधारित स्टार्टअप"** से अभिप्रेत है एक ऐसा स्टार्टअप जो संगठित तरीके से एक उत्पाद का निर्माण करता है, जिसका एक भौतिक आकार हो और इकाई भारत सरकार के उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration) के तहत विनिर्माण गतिविधि (Manufacturing activity) के लिए पंजीकृत होकर, विनिर्माण इकाई मध्यप्रदेश में स्थापित हो।

7.7. **"प्रतिष्ठित विज्ञापन प्लेटफार्म"** से अभिप्रेत नीति के परिशिष्ट - II अंतर्गत सूचीबद्ध प्लेटफार्म।

7.8. **"स्टार्टअप"** से अभिप्रेत है ऐसी इकाई से है जो भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्टअप इण्डिया से मान्यता (recognized) प्राप्त हो एवं मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत/निगमित हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांगजन या ट्रांसजेंडर श्रेणी के प्रमोटरों द्वारा प्रवर्तित स्टार्टअप में उनकी भागीदारी 51% से कम न हो।

7.9. **"राज्य शासन"** - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

7.10. **"राज्य स्तरीय स्टार्टअप साधिकार समिति"** से अभिप्रेत है नीति के सुगम क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण एवं राज्य नवाचार चुनौती अन्तर्गत स्टार्टअप स्क्रीनिंग एवं चयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति।

7.11. **"सफल स्टार्टअप"** से अभिप्रेत है कि यदि वह निम्नलिखित किसी भी परिस्थिति को पूरा करता है, तो उसे 'सफल' माना जाएगा:

(i) स्टार्टअप को SEBI पंजीकृत एआईएफ (Alternative Investment Fund) से श्रेणी 1 एवं 2 फंड या एंजल नेटवर्क्स से कम से कम रुपये 25 लाख का कुल इक्विटी वित पोषण प्राप्त हुआ हो; अथवा

(ii) भारत सरकार या मध्यप्रदेश शासन से कम से कम रुपये 5 लाख का वित्त पोषण/अनुदान स्वीकृत हो; अथवा

(iii) स्टार्टअप की पिछले छह महीने की मासिक कमाई दर रुपये 10 लाख या उससे अधिक प्राप्त की हो।

7.12. **"टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (TBI)"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों, स्थानीय प्रशासन और निजी संस्थानों का एक उपक्रम, जो नई प्रौद्योगिकी उद्यम को बढ़ावा देने और आधार देने के लिए कार्य करता हो।

7.13. **"ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम (TREDS)"** प्लेटफॉर्म से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम एवं इस कार्य हेतु स्वीकृत संस्था।

8. स्टार्टअप इकोसिस्टम एनेबलर्स

स्टार्टअप्स एवं इन्क्यूबेटर्स पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने तथा उन्हें आवश्यक सहयोग/सहायता प्रदान करने के लिए संस्थागत, विपणन, वित्तीय तथा स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रमुख होते हैं।

8.1 संस्थागत सहयोग -

8.1.1 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सलाहकार परिषद

प्रदेश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु आवश्यक उपायों पर सलाह के लिए मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। जिसमे स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रख्यात स्टार्टअप उद्यमी, निवेशक, अकादमिक क्षेत्र के विशेषज्ञ, प्रदेश में स्थापित प्रमुख वृहद् उद्योगों के प्रवर्तक/वरिष्ठ कार्यकारी, आईटी क्षेत्र के लीडर, एवं क्षेत्र से संबंधित अन्य आमंत्रित शामिल होंगे।

8.1.2 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर का निर्दिष्टिकरण एवं विस्तार-

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (MPLUN) के संरक्षण में कार्यकारी प्रमुख, विषय विशेषज्ञों के साथ मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर (MPSC) का सशक्तिकरण एवं विस्तार किया जायेगा और संस्थागत रूप प्रदान किया जायेगा। जिससे राज्य के सभी स्टार्टअप्स को सर्वश्रेष्ठ आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके और सभी हितधारकों के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा सकें। यह केंद्र राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, सुदृढ़ करने और सुविधा प्रदान करने के लिए एक समर्पित एजेंसी के रूप में कार्य करता रहेगा।

मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर के दायरे को ध्यान में रखते हुए, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर या अन्य शहर में आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर एक पृथक स्वतंत्र विधिक इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 8 अंतर्गत गैर-लाभकारी कंपनी या मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विभाग अपने अधीनस्थ संस्थानों के माध्यम से प्रमुख नगरों में स्टार्टअप्स के लिए को-वर्किंग स्पेस भी प्रदान करेगा। आवश्यकता होने पर अन्य राज्य सरकार विभागों और उनके निगमों के साथ भी सहयोग किया जाएगा ताकि स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

8.1.3 स्टार्टअप सेंटर के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

i. राज्य के स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।

ii. नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं के लाभ हेतु पदाभिहित पोर्टल के माध्यम से पात्र

स्टार्टअप्स एवं इन्क्यूबेटर्स द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का समुचित परीक्षण उपरांत अपने प्रतिवेदन सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को विचारार्थ प्रस्तुत करेगा तत्पश्चात संतुष्टि उपरांत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम पात्र एवं पूर्ण प्रकरणों को अनुशंसा सहित प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग को अंतिम अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। अंतिम अनुमोदन एवं स्वीकृति उपरांत आवेदकों को डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सुविधा राशि प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से वितरित की जावेगी।

iii. विभिन्न विभागों के साथ समन्वय/नियमानुसार सहयोग करना ताकि पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो सकें।

iv. यह राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा कर राज्य सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगा।

v. केंद्र का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता, अभिनव और स्टार्ट-अप उद्यमिता को बनाने और समर्थन करने के उद्देश्य से नवाचार संचालित स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर, इस प्रकार मध्यप्रदेश को एक आत्मनिर्भर स्टार्ट-अप और इनोवेशन हब बनाना है।

vi. यह स्टार्टअप्स को विभिन्न निवेश, बाजार और अन्य संबंधित मंचों पर अपनी सेवाएं/उत्पाद प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

vii. यह मेंटॉरशिप समर्थन प्रदान करने में भी मदद करेगा और आवश्यक निवेशकों से पूंजी/अन्य वितपोषण जुटाने में सहयोग देगा।

viii. मास्टर डेटाबेस तैयार करना।

ix. स्टार्टअप्स को कंपनी और कर संबंधी कानूनों के संदर्भ में उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।

x. राज्य और बाहर संबंधित इवेंट्स के तहत बूट कैंप, चैलेंज प्रतियोगिताएं, रोड शो और निवेशक बैठकें/वर्कशॉप आयोजित करना।

xi. स्टार्टअप्स और इन्क्यूबेटर्स के लिए केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालयों एवं राज्य के विभागों से समन्वय हेतु एक सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

xii. प्री-मार्केट अध्ययन और मूल्यांकन।

xiii. किसी भी स्वीकृति/प्रोत्साहन और अन्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों का निवारण निर्धारित प्रक्रिया के तहत करना।

8.1.4 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर की क्षमता को सुदृढ़ करना

मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर की क्षमता को मजबूत करने के लिए राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का सहयोग करने के लिए आवश्यकता अनुसार टीम संरचना को सशक्त किया जाएगा। इसमें नवाचार, वित, इन्क्यूबेशन, व्यापार विकास, विपणन, कानूनी अनुपालन आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञों को ओनबोर्ड किया जाएगा। स्टार्टअप नीति एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेण्टर के अंतर्गत एक सशक्त

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) की स्थापना की जायेगी।

8.1.5 मेगा इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना

प्रदेश में स्टार्टअप उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचार और व्यवसायिक विकास के लिए एक संगठित पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा मेगा इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना की जायेगी, जहाँ स्टार्टअप को स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट आधारभूत संरचना के साथ मेंटरशिप, निवेश, डिजाईनिंग, अनुसंधान और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे वे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगें। उक्त मेगा इन्क्यूबेशन सेण्टर के विकास एवं संचालन के लिए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की अग्रणी संस्थाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership) हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इस मेगा इन्क्यूबेशन सेण्टर के सॅटॅलाइट सेण्टर प्रदेश के अन्य उपयुक्त स्थानों में स्थापित किये जायेंगे। सेंटर भारत सरकार के **MAARG** (Mentorship, Advisory, Assistance, Resilience and Growth) Portal में पंजीकृत मेंटर्स का सहयोग प्राप्त करेगा।

8.1.6 रिवाइवल हेतु सहयोग

मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर ऐसे स्टार्टअप्स को सहायता देगा जो वित्तीय बाधाओं या अन्य महत्वपूर्ण व्यवहारिक चुनौतियों के कारण परिचालन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सेण्टर इन्क्यूबेटरों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के सहयोग से इन स्टार्टअप्स को अपने बिजनेस मॉडल को पुनर्गठित करने हेतु मार्गदर्शन सहायता प्रदान करेगा।

8.2 स्टार्टअप पोर्टल का उन्नयन

राज्य के समर्पित स्टार्टअप पोर्टल को सूचना प्रसार एवं सरलीकरण, क्षमता विस्तार, इकोसिस्टम की गतिविधि को मैप करने और नीति अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया सरलीकृत करने के लिए और सशक्त बनाया जावेगा। इसके अतिरिक्त, जानकारी को अधिक सुलभ बनाने के लिए मोबाइल ऐप, सीएमहेल्पलाइन की तर्ज पर सुदृढ़ स्टार्टअप हेल्पलाइन, एआई आधारित चैटबॉट और समर्पित आईटी सेल विकसित किया जावेगा।

8.3 अकादमिक, तकनीकी और मेंटरशिप सहायता हेतु भागीदारी

राज्य में विशेष रूप से विनिर्माण आधारित स्टार्टअप्स और नवाचारों को प्रोत्साहित करने और तकनीकी और मार्गदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए, उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों/विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से आवश्यक सहायता और भागीदारी प्राप्त होगी। मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर तकनीकी परीक्षण, अनुसंधान और विकास समर्थन के लिए MSME टेक्नोलॉजी सेंटर, इंदौर और भोपाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल, IISER भोपाल, IIITDM जबलपुर, NIFT भोपाल, IIT इंदौर, NIT भोपाल, IIM इंदौर, AIIMS भोपाल, ICMR, RRCAT इंदौर या अन्य केंद्र/राज्य विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान/अनुसंधान संगठन के साथ सहयोग करेगा।

. शैक्षणिक संस्थान संचालित करने वाले सभी विभाग छात्रों को नवाचार एवं उद्यमिता से जोड़ने के लिए मध्यप्रदेश युवा नीति अंतर्गत इच्छुक एवं पात्र छात्रों को स्टूडेंट इनोवेशन फण्ड के माध्यम से प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास करेंगे। प्रदेश के अधिकाधिक विद्यालयों में भारत सरकार के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जायेगी, जिससे माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में नवाचार एवं उद्यमिता की भावना स्वप्रेरणा से जागृत की जा सकेगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले में भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की रैंम्प योजना (Raising and Accelerating MSME Performance Scheme) अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों, अभियांत्रिकी महाविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में नवाचार एवं उद्यमिता के प्रसार हेतु इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना की जायेगी।

9. राज्य में स्थापित स्टार्टअप्स के लिए वितीय सहायता

मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं के लाभ हेतु पदाभिहित पोर्टल के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स एवं इन्क्यूबेटर्स द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का समुचित परीक्षण उपरांत अपने प्रतिवेदन सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को विचारार्थ प्रस्तुत करेगा, तत्पश्चात संतुष्टि उपरांत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम पात्र एवं पूर्ण प्रकरणों को अनुशंसा सहित प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग को अंतिम अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। अंतिम अनुमोदन एवं स्वीकृति उपरांत आवेदकों को डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सुविधा राशि प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से वितरित की जावेगी। नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं/सेवाओं को "मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010" अंतर्गत निश्चित की गई समय सीमा में प्रदाय करने हेतु सम्मिलित किया जावेगा।

9.1 स्टार्टअप के लिए सामान्य वितीय सहायता

9.1.1 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सीड फण्ड सहायता

चयनित स्टार्टअप को अधिकतम 30 लाख रुपये तक अनुदान सहायता दिया जाएगा। यह सीड फण्ड चयनित इन्क्यूबेटरों के माध्यम से स्टार्टअप को दिया जायेगा। सीड फण्ड मैनपावर, व्यावसायिक सेवाओं, उपभोग्य सामग्री, हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर/ कच्चे माल की लागत, विनिर्माण आउटसोर्सिंग, उत्पाद परीक्षण, बाजार अनुसंधान, मार्केट एंट्री, कमर्शियलाइजेशन या स्केलअप के लिए प्रदान किया जाएगा। अनुदान का उपयोग स्टार्टअप द्वारा किसी निर्माण कार्य/ भूमि/ सम्पति/ स्थायी पूँजी हेतु नहीं किया जाएगा। फंडिंग की किस्तें संबंधित इनक्यूबेटर द्वारा प्रस्तुत स्टार्टअप की प्रगति के अधीन होंगी।

9.1.2 स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट (कैपिटल) फंड

राज्य शासन द्वारा ₹100 करोड़ का स्टार्टअप कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी। राज्य

शासन चिन्हित एवं एम्पेनल्ड एआईएफ (अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स) अंतर्गत अधिकतम 50 करोड़ की राशि निवेश करेगी। एम्पेनल्ड एआईएफ मध्यप्रदेश के DPIIT अधिमान्य स्टार्टअप्स में ₹100 करोड़ का निवेश करेंगे।

9.1.3 प्राप्त निवेश/ऋण पर सहायता -

ऐसे स्टार्टअप, जिसको SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)/ RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान/ बैंक/ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड आदि से फण्ड/ निवेश/ ऋण प्राप्त हुआ है, को प्राप्त राशि के 15% की दर से अधिकतम 15 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। यह सहायता प्राप्त प्रत्येक निवेश/ऋण के लिए स्टार्टअप के स्टार्टअप इंडिया द्वारा निर्धारित जीवनकाल के दौरान अधिकतम चार बार, अधिकतम रुपये 60 लाख की सीमा अंतर्गत देय होगी। ऋण अदायगी की अवधि एक वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उक्त सहायता राज्य और केन्द्र सरकार की योजना के अंतर्गत ऋण/सीसीडी अथवा इक्विटी प्राप्त होने पर भी देय होगी। लेकिन किसी भी प्रकार के अनुदान (Grant) हेतु देय नहीं होगा।

एससी, एसटी, महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों या ट्रांसजेंडर उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को अतिरिक्त 3% सहायता मिलेगी, यानी अधिकतम 18 लाख रुपये तक कुल 18% सहायता। यह उल्लिखित शर्तों के अनुसार ₹ 72 लाख की अधिकतम सीमा के भीतर चार बार उपलब्ध होगा।

9.1.4 मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत स्टार्टअप्स को बैंकों के माध्यम से ऋण -

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत स्टार्टअप्स को बैंकों के माध्यम से कोलेट्रल मुक्त ऋण (Collateral Free Loan) उपलब्ध कराकर उन्हें भारत सरकार की "स्टार्टअप्स हेतु ऋण गारंटी स्कीम (Credit Guarantee Scheme for Startups) अंतर्गत कवरेज तथा प्रचलित दर पर देय गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति (अधिकतम वर्षों तक 05) एवं वितरित ऋण पर प्रतिशत 05 प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान प्रतिपूर्ति (अधिकतम वर्षों तक 05) की जायेगी। योजनांतर्गत ऋण प्राप्त स्टार्टअप्स को नीति की कंडिका (9.1.3) में निहित प्रावधान अनुसार ऋण पर सहायता की पात्रता शर्तों के अध्याधीन होगी।

9.2 स्टार्टअप परिचालन हेतु वित्तीय सहायता

9.2.1 उद्यमिता प्रोत्साहन - आन्टेप्रेन्योर-इन-रेसिडेंस (ईआईआर) सहायता

प्रत्येक स्टार्टअप को 12 महीने तक की अवधि के लिए 10,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदाय की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों/कामकाजी पेशेवरों को एक संभावित करियर के रूप में उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। योग्य स्टार्टअप इस सहायता को DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त करने की दिनांक से 2 साल की अवधि के भीतर केवल 12 माह तक के लिए प्राप्त कर सकते हैं।

9.2.2 प्रोडक्ट/प्रोटोटाइप सहायता-

राज्य/केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले/वित पोषित संस्थान/ कॉलेज/ विश्वविद्यालय/ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी विकास, उत्पाद विकास, उत्पाद डिजाइनिंग, ब्रांडिंग और विपणन विकास और परामर्श, पैकेजिंग परामर्श आदि पर हुए कुल व्यय हेतु प्रति स्टार्टअप 100% एवं अधिकतम 15 लाख तक की सीमा तक प्रतिपूर्ति सहायता दी जाएगी।

9.2.3 पेटेंट सहायता-

राज्य के स्टार्टअप्स के नाम पर पेटेंट प्राप्त करने पर अधिकतम ₹5 लाख तक की 100% सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें पेटेंट प्राप्त करने के लिए समस्त आवश्यक शुल्क और परामर्श सेवाओं की लागत शामिल होगी। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए 100% सहायता दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹20 लाख होगी।

9.2.4 लीज रेंटल असिस्टेंस -

कार्यरत स्टार्टअप्स द्वारा लीज/किराये पर लिए गए कार्यस्थल के लिए प्रतिमाह भुगतान किए गए किराए पर तीन साल के लिए 50% लीज रेंटल सहायता अधिकतम 10000 रुपये की सीमा तक प्रति माह तक दी जाएगी। उक्त सहायता राज्य सरकार के स्वामित्व वाले या सहायता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों/क्लस्टरों में स्थापित विनिर्माण आधारित स्टार्टअप को पट्टे पर लिए गए भूखंड/शेड/निर्मित स्थान पर उनके द्वारा भुगतान किए गए पट्टा किराए और मेंटेनेंस शुल्क पर भी उपलब्ध होगी। यह सहायता इन्क्यूबेशन केंद्रों में कार्यरत स्टार्टअप्स द्वारा कार्यस्थल/सीट हेतु भुगतान/शुल्क के लिए भी लागू होगी।

9.2.5 ऑनलाइन विज्ञापन सहायता -

गूगल, मेटा एवं परिशिष्ट-II अनुसार अन्य प्रतिष्ठित विज्ञापन प्लेटफार्म पर स्टार्टअप के विज्ञापन व्यय के लिए 100% सहायता अधिकतम ₹3 लाख तक सीमा तक एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यह सहायता उन स्टार्टअप को दी जाएगी, जो आवेदन के समय 2 वर्ष से अधिक समय पहले निगमित नहीं हुए हों और नीति अवधि में केवल एक बार ही इसका लाभ उठाया जा सकेगा। परिशिष्ट-II अनुसार अन्य प्रतिष्ठित विज्ञापन प्लेटफार्म की सूची में विभाग द्वारा समय समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा।

9.2.6 आयोजन सहभागिता सहायता-

स्टार्टअप संबंधित आयोजनों हेतु यात्रा, ठहरने, स्टॉल एवं सहभागिता शुल्क आदि हेतु किये गए व्यय पर निम्नानुसार सहायता प्रदान की जाएगी -

a) घरेलू आयोजन - देश के अन्दर स्टार्टअप केंद्रित घरेलू आयोजनों में सहभागिता के लिए 75% व्यय की प्रतिपूर्ति, ₹50,000 तक की अधिकतम सीमा तक।

b) अंतर्राष्ट्रीय आयोजन - विदेश में स्टार्टअप केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए 75% व्यय की प्रतिपूर्ति ₹1,50,000 की अधिकतम सीमा तक।

10. विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए विशेष पैकेज -

10.1 विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति

स्टार्टअप की तकनीकी और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य एवं केंद्र शासन से अधिमान्य संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति सहायता अधिकतम 25 कर्मचारियों के लिए प्रति नए कर्मचारी प्रति वर्ष 13,000 रुपये की दर से तीन वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी। यह सहायता केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि एक माह होगी ।

10.2 विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए रोजगार सृजन सहायता

यह सहायता इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी। इसका मतलब है कि तीसरे वर्ष में नियुक्त नया कर्मचारी उसकी नियुक्ति की तिथि से अगले दो वर्षों के लिए रोजगार सृजन सहायता के लिए पात्र होगा। यह सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

क्र	समयावधि	इकाई उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत
1	1 वर्ष के अन्दर	50 %
2	2 वर्ष के अन्दर	75 %
3	3 वर्ष के अन्दर	90 %

यदि उपरोक्त शर्त पूरी नहीं की जाती है, तो इकाई को प्रदान की जा रही रोजगार सृजन सहायता में आनुपातिक रूप से कटौती की जाएगी।

10.3 विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए विद्युत ड्यूटी से छूट

विनिर्माण आधारित स्टार्टअप हेतु सभी पात्र नई इकाइयों को नवीन विद्युत कनेक्शन पर 3 वर्षों के लिए विद्युत ड्यूटी से छूट।

10.4 विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए विद्युत टैरिफ हेतु प्रतिपूर्ति सहायता

विनिर्माण आधारित स्टार्टअप हेतु नवीन विद्युत कनेक्शन पर 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से 3 साल के लिए की जाएगी।

10.5 विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति एवं कार्यान्वयन योजना अंतर्गत सहायता

विनिर्माण आधारित स्टार्टअप हेतु इकाई की स्थापना के लिए प्रचलित म.प्र. एमएसएमई विकास नीति के अंतर्गत पात्रतानुसार सहायता नीति में निहित शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी।

11. राज्य में स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर के लिए विशेष वित्तीय सहायता

इन्क्यूबेटरों के लिए नियम और शर्तें

i. इन्क्यूबेटर एक वैधानिक इकाई होगी जो (अ) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 या मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी हो अथवा (ब) भारतीय ट्रस्ट एक्ट, 1882 के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट हो अथवा (स) कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act 1956 or Companies Act, 2013) के तहत पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अथवा कम्पनी अधिनियम अंतर्गत सेक्शन 8 पंजीकृत कंपनी हो अथवा (द) एक वैधानिक निकाय (statutory body) जिसे किसी विधायी अधिनियम (legislative act) के माध्यम से बनाया गया हो।

ii. इन्क्यूबेटर के पास न्यूनतम 20 इन्क्यूबेटीज़ (incubatees) की क्षमता एवं पर्याप्त सुविधा हो।

iii. इन्क्यूबेटर के पास एक पूर्णकालिक (full-time) प्रमुख/सीईओ हो, जो व्यवसाय विकास और उद्यमशीलता में अनुभव रखता हो और जिसके साथ एक कुशल टीम हो। यह टीम स्टार्टअप्स के विचारों के परीक्षण और मान्यता (Testing and Validating Ideas) के साथ-साथ वित (Finance), विधिक (Legal) और मानव संसाधन कार्यों में मार्गदर्शन प्रदान करती हो।

iv. इन्क्यूबेटर के पास कम से कम 5000 वर्गफीट (निर्मित क्षेत्र) का आवश्यक सुविधा युक्त (furnished and well-equipped) स्थान हो।

v. इन्क्यूबेटर का मध्यप्रदेश में स्थापित और संचालित होना अनिवार्य होगा।

vi. इन्क्यूबेटर पिछले 2 वित्तीय वर्षों से संचालित हो तथा पिछले 2 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

vii. नीति के तहत किसी भी सहायता के लिए आवेदन करते समय इनक्यूबेटर द्वारा वास्तविक रूप से कम से कम 5 डीपीआईआईटी (DPIIT) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट किया हो।

viii. इन्क्यूबेटर को अपने कुल बैठने की जगह का न्यूनतम 50% DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित करना होगा।

ix. राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित इन्क्यूबेटरों के लिए 2 वर्ष तक संचालित होने की बाध्यता से छूट होगी।

11.1 नवीन इन्क्यूबेटर सेंटर स्थापना हेतु सहायता -

होस्ट इंस्टिट्यूट अंतर्गत न्यूनतम 20 इन्क्युबेटीज़ की सुविधा युक्त और 5000 वर्ग फीट (न्यूनतम निर्मित क्षेत्र) वाले नए इनक्यूबेटर स्थापित करने हेतु निम्नानुसार पूंजीगत सहायता दी जावेगी -

अ. शासकीय/अर्धशासकीय एवं शासन द्वारा वित्त पोषित होस्ट इंस्टिट्यूट को इन्क्यूबेटर सेंटर स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश (भूमि और भवन लागत को छोड़कर) का 100% पूंजी सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 50 लाख रुपये तक होगा।

ब. निजी होस्ट इंस्टिट्यूट को इन्क्यूबेटर सेंटर स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश (भूमि और भवन लागत को छोड़कर) का 50% पूंजी सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 50 लाख रुपये तक होगा।

11.2 इन्क्यूबेशन सेण्टर को आयोजन सहायता-

मध्यप्रदेश में स्थित इन्क्यूबेटर्स को प्रत्येक आयोजन के लिए अधिकतम ₹5 लाख की राशि की प्रतिपूर्ती सहायता जिससे स्टार्टअप्स से संबंधित इवेंट्स का आयोजन किया जा सके, जिसका वार्षिक सीमा अधिकतम ₹20 लाख होगी। सहायता की राशि आयोजक के अंशदान से अधिक नहीं होगी।

11.3 इन्क्यूबेशन सेण्टर उन्नयन सहायता

इन्क्यूबेशन सेण्टर को अपग्रेड करने के लिए उत्पाद या प्रोटोटाइप विकास हेतु आवश्यक मशीन/उपकरण जैसे फैब लैब उपकरण, 3डी प्रिंटर आदि एवं उनके संचालन हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर्स हेतु किये गए व्यय का 50% एवं अधिकतम 10 लाख तक की वितीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता नीति अवधि में इन्क्यूबेशन सेण्टर को अधिकतम दो बार प्रदान की जाएगी।

11.4 इन्क्यूबेशन सेण्टर भूमि आवंटन

विनिर्माण-विशिष्ट इनक्यूबेशन केंद्र, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत एवं स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन होगा, को विभाग के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रचलित विभागीय औद्योगिक भूमि आवंटन नियम अंतर्गत उद्योगों के समान दरों पर भूमि आवंटन हेतु प्रावधान किये जायेंगे।

12. स्टार्टअप के लिए विशेष कार्यक्रम

12.1 राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge)

प्रदेश में उच्च प्रभाव वाले चार आर्थिक-सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु प्राप्त एवं चयनित व्यवसायिक रूप से व्यवहारिक अवधारणा को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की

जावेगी। इस हेतु सभी प्रकार की संस्थाओं (स्टार्ट-अप्स सहित) से अवधारणा आमंत्रित कर उन्हें सर्व संबंधित विभागों को उनके अभिमत हेतु परिचालित किया जावेगा। विभागों की अनुशंसा पर अवधारणाओं को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस परिप्रेक्ष्य में गठित स्क्रीनिंग/चयन साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। समिति उक्त अवधारणाओं की विशिष्ठता, गुण-दोष एवं समस्या निवारण क्षमता के आधार पर चार श्रेष्ठ अवधारणाओं का चयन करेगी। चयनित स्टार्ट-अप्स के मूल्यांकन एवं निगरानी संबंधी कार्य एमपी स्टार्टअप सेंटर द्वारा विषय विशेषज्ञों के परामर्श से किया जावेगा। सहायता का स्वरूप निम्नानुसार होगा-

- अधिकतम 1 करोड़ रुपये की अनुदान राशि, जो अधिकतम चार चरणों में या सक्षम समिति द्वारा निर्धारित निर्णय के अनुसार प्रदान की जाएगी। चयनित स्टार्टअप का मूल्यांकन, निगरानी और मूल्यांकन एमपी स्टार्टअप सेंटर द्वारा विषय विशेषज्ञों के परामर्श से उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर किया जाएगा।
- सभी आवश्यक लाइसेंस/स्वीकृति शुल्क से छूट या प्रतिपूर्ति और कार्योत्तर स्वीकृति।
- राज्य में दो वर्षों के लिए क्रय में सहायता।
- सभी चयनित समाधानों को राज्य शासन के स्वामित्व वाले इन्क्यूबेटरों के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि R&D सहयोग, प्रयोगशाला उपयोग, सुविधाओं के उपयोग, कार्यालय स्थान और बैठक व्यवस्था के साथ नियमित निगरानी की जा सके।
- यदि किसी विनिर्माण-आधारित स्टार्टअप का चयन किया जाता है, तो उसे इस नीति के तहत विनिर्माण-आधारित सुविधाओं का भी लाभ मिल सकेगा।

12.2 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर एक्सेलरेशन कार्यक्रम.

एक्सेलेरेशन कार्यक्रम लघु से मध्यम अवधि (न्यूनतम 12 सप्ताह) का गहन मेंटरिंग कार्यक्रम है, जो एक विचार से औपचारिक उत्पाद लॉन्च तक बढ़ गए स्टार्टअप को ग्रोथ स्टेज तक न्यूनतम समय में पहुँचाने हेतु सहयोग करने के लिए आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक प्रोग्राम हेतु चयनित इनक्यूबेटर को 15 स्टार्टअप के लिए अधिकतम 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जायेगी।

12.3 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर हैकथॉन कार्यक्रम

इस योजना में विभागों की एवं राज्य की अन्य अथवा थीम आधारित समस्या विवरण (प्रॉब्लम स्टेटमेंट) प्रकाशित कर स्टार्टअप को अभिनव समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। चयनित स्टार्टअप को प्रति स्टार्टअप 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।

12.4 मध्यप्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम अवार्ड

अनुकरणीय स्टार्टअप और इनक्यूबेटरों एवं अन्य अग्रणी हितधारकों को पहचानने और

सम्मानित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में मध्यप्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम अवार्ड्स दिए जायेंगे।

12.5 स्टार्टअप इवेंट

स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों और हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर सम्मेलनों, व्यापार शो, मीटअप, बूथ शिविर, मेंटरिंग सत्र, स्टार्टअप मेला, डेमो-डे, इन्वेस्टर डे, स्टार्टअप यात्रा, स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम और वृहद् स्तर पर राज्य स्तरीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव सहित नेटवर्किंग कार्यक्रमों का आयोजन और सहयोग करेगा।

13. शासन की शक्तियाँ

- स्टार्टअप और इन्क्यूबेटरों को मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार नीति अंतर्गत सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश अंतर्गत संशोधन हेतु अनुमोदन विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से किया जाएगा। किसी भी प्रकार की मुद्रण/तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि एवं भ्रांति हो, तो हिंदी तथा अंग्रजी रूपांतर में से हिंदी रूपातंर को मानक माना जायेगा।
- नीति के तहत प्रावधानों के अधीन, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -
  - इस नीति में संशोधन या निरसित कर सकते हैं।
  - इस नीति के प्रावधानों को शिथिल कर सकते हैं।
  - नीति के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए निर्देश/स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं।
- इस नीति के प्रभावी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 अप्रभावी हो जावेगी।

14. क्षेत्राधिकार

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र मध्यप्रदेश में होगा।

****

परिशिष्ट - 1 प्राथमिकता क्षेत्र की सूची

1. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी
2. एनीमेशन, विज़ुअल, ग्राफ़िक्स, एक्स्टेंडेड रिएलिटी और गेमिंग
3. बायोटेक एवं लाइफ साइंस
4. बायोप्रिंटिंग, ऑर्गेनोइड्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ह्यूमन ऑग्मेंटेशन, बायोडायनामिक्स एवं ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI)
5. सर्क्युलर इकॉनमी आधारित
6. डीपटेक
7. मोबिलिटी
8. नवीन ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ
9. क्वांटम टेक्नोलॉजी
10. पर्यटन

***

परिशिष्ट - 2 प्रतिष्ठित विज्ञापन प्लेटफार्म

1. अमेज़न
2. फ्लिपकार्ट
3. गूगल
4. मेटा

***

मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप कार्यान्वयन योजना, 2025

1. प्रस्तावना

राज्य में युवा उद्यमियों के लिए नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, मध्यप्रदेश शासन ने "मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2025" लागू की है। नीति अधिसूचना दिनांक से प्रभावी नीति प्रावधान अनुसार इन्क्यूबेटरों और स्टार्टअप को विभिन्न सहायता प्रदान करने के लिए, "मध्यप्रदेश स्टार्टअप कार्यान्वयन योजना 2025" लागू की जा रही है।

2. योजना के कार्यान्वयन की अवधि और कार्यक्षेत्र

- यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावी होगी और पूरे मध्य प्रदेश में तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि सरकार द्वारा इसमें संशोधन या अधिक्रमण नहीं किया जाता है।
- स्टार्ट-अप / इन्क्यूबेटर / होस्ट संस्थान इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। उत्पाद आधारित स्टार्टअप के मामले में, अधिसूचना की तारीख के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली इकाईयां इस नीति में प्रावधानित सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
- अधिसूचना की तिथि से पहले स्थापित स्टार्टअप/ इनक्यूबेटर/ होस्ट संस्थान को मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति, 2022 या इससे पहले की नीतियों के तहत सहायता के लिए पात्र होंगे एवं ऐसे मामलों का निराकरण पूर्व नीति के अनुसार किया जायेगा, परन्तु स्टार्टअप को प्राप्त निवेश/ऋण पर सहायता, पेटेंट सहायता, आयोजन सहभागिता सहायता, ऑनलाइन विज्ञापन सहायता, राज्य नवाचार चुनौती; राज्य में स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर/होस्ट संस्थानों को विशेष वितीय सहायता अंतर्गत नवीन इन्क्यूबेटर सेंटर स्थापना हेतु सहायता, इन्क्यूबेशन सेण्टर को आयोजन सहायता एवं इन्क्यूबेशन सेण्टर उन्नयन सहायता; विनिर्माण आधारित स्टार्टअप्स के लिए विशेष वितीय सहायता में मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति अंतर्गत सहायता तथा स्टार्टअप के लिए विशेष कार्यक्रम अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर एक्सेलरेशन कार्यक्रम, मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर हैकथॉन कार्यक्रम, फंडिंग सहायता में स्टार्टअप कैपिटल फंड, मध्यप्रदेश स्टार्टअप सीड सहायता के साथ मध्यप्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम अवार्ड एवं स्टार्टअप इवेंट संबंधी कार्यवाही/ सहायता में मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2025 लागू होने से पूर्व स्थापित / निगमित स्टार्टअप / इनक्यूबेटर्स / होस्ट संस्थान को भी प्राप्त होगी।

- पूर्व/प्रचलित नीति (नीतियों) के तहत स्टार्ट-अप/ इनक्यूबेटरों/ होस्ट संस्थानों/ नवचारियों को सुविधा/सहायता प्राप्त करने के लिए गठित विभिन्न समितियों को भंग कर दिया जाएगा और पूर्व की नीति (नीतियों) के तहत प्राप्त/स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण "मध्यप्रदेश स्टार्टअप कार्यान्वयन योजना, 2025" में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

3. कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया

a. राज्य स्तरीय साधिकार समिति

नीति के सुचारू कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के घटक और राज्य नवाचार चुनौती के लिए स्टार्ट-अप की प्रगति की निगरानी के लिए निम्नानुसार होंगे -

क्र.	पदाधिकारियों का विवरण	प्राधिकार
1.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी	सदस्य
7.	सीईओ, अटल बिहारी बाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, भोपाल	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	सदस्य सचिव
9.	आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित सदस्य	सदस्य

b. स्टार्टअप/ इन्क्यूबेटरों/ होस्ट संस्थान/ ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज/ नवाचारियों के लिए सहायता मूल्यांकन प्रक्रिया (सभी तीन हितधारकों को इकाई के रूप में संदर्भित किया जाएगा):

- योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन अधिमानतः इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्टार्टअप एमपी पोर्टल/मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर को जारी निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन जमा किया जाएगा।
- मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप केन्द्र द्वारा प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच एवं सम्यक तत्परता के बाद सहायता से संबंधित विषय उसकी रिपोर्ट के साथ प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

- विचार उपरांत प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम प्रमुख सचिव, एमएसएमई को अनुशंसित आवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रमुख सचिव के अनुमोदन पर, नीति के तहत प्रदान की गई वितीय सहायता के लिए स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे और डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सुविधा राशि प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से वितरित की जावेगी। नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं/सेवाओं को "मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010" अंतर्गत निश्चित की गई समय सीमा में प्रदाय करने हेतु सम्मिलित किया जावेगा।
- प्रथम बार योजना के तहत सभी सहायता प्रमुख सचिव, एमएसएमई द्वारा अनुमोदित की जाएगी। उसके बाद स्वीकृत सहायता की किस्तें प्रमुख सचिव, एमएसएमई के अनुमोदन किए बिना, पात्रता के अनुसार स्वचालित रूप से प्राप्त की जाएंगी।
- यदि प्रमुख सचिव के ध्यान में ऐसा कोई तकनीकी बिंदु आता है, जिसके कारण उसे अपने निर्णय को संशोधित करना पड़ता है, तो वह स्वतः संज्ञान लेकर अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है, लेकिन लिए गए निर्णय की जानकारी 30 दिनों के भीतर संबंधित इकाई को सूचित कर दी जाएगी।

4. अपील:

प्रमुख सचिव, एमएसएमई के निर्णय के खिलाफ अपील निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर प्रशासनिक विभाग के समक्ष होगी, विभाग योग्यता के आधार पर देरी (यदि कोई हो) को माफ कर सकता है। प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

5. स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/आवेदन पत्र तैयार करने की शक्तियां:

स्टार्टअप्स/ इनक्यूबेटरों/ मेजबान संस्थान/ ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज/ नवाचारियों आदि को नीति के तहत सहायता के अनुमोदन/स्वीकृति के लिए विस्तृत दिशानिर्देश, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और आवेदन पत्र विभाग द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे।

6. संशोधन/छूट/निरसन:

योजना के प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग कभी भी-

- इस योजना में संशोधन या निरसन।
- इस योजना के प्रावधान को शिथिल कर सकते हैं।

7. न्यायालय क्षेत्राधिकार:

किसी भी विवाद के मामले में, क्षेत्राधिकार मध्यप्रदेश राज्य के भीतर होगा।

Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Startup Policy and Implementation Scheme 2025

Department of Micro, Small and Medium Enterprises

Table of Contents

1. Introduction ....

2. Vision..........

3. Mission ....

4. Objectives ....

5. Policy Focus Areas..........

6. Term and Applicability of the Policy ....

7. Definitions..........

8. Startup Ecosystem Enablers ....

9. Financial Assistance to Startups ....

10. Special Package for Product-based Startups..........

11. Financial assistance to Incubators..........

12. Special Programs for Startups ....

13. Power of the Government ....

14. Jurisdiction ....

Appendix-I List of Priority Sector..........

Appendix-II Prominent Advertising Platforms 2

Madhya Pradesh Startup Implementation Scheme, 2025 2

1. Introduction

Madhya Pradesh has seen a significant improvement in its investment climate due to the state government's policies that facilitate business operations and contribute to the development of economic and social infrastructure. The government's focus has been on creating jobs for the local youth through innovative and entrepreneurial initiatives. Acknowledging the vital role of startups in advancing innovation, employment, and economic progress, the state is working to enable startups to access international markets and modern technologies, empower young entrepreneurs, and establish Madhya Pradesh as a model startup hub.

In light of the evolving global economic conditions, regulatory reforms, India's new education policy, and updates to the state startup ranking framework, a revision of the existing startup policy is essential. Consequently, the state government has decided to implement the "Madhya Pradesh Startup Policy and Implementation Plan, 2025" to enhance the policy's inclusivity, integration, and impact.

The new policy includes special measures to encourage a mindset of innovation and startups among school and college students. A unified approach has been adopted to ensure the effective application of the policy across government sectors. The policy provides various levels of support to startups, including seed and capital funds, hackathons, incubation support, digital marketing, collateral-free loans, interest subsidies, and acceleration programs.

The policy's objective is not just to offer financial support but also to provide startups with institutional backing, Ease of Doing Business, essential infrastructure, state procurement support, marketing, and additional assistance.

2. Vision

To establish Madhya Pradesh as a leading startup hub at the global level, which encourages innovation, wealth creation and supporting ecosystem. This ecosystem will promote job creation, sustainability, investor confidence, ethical revenue models and equal opportunities.

3. Mission

3.1 To build a strong and holistic startup ecosystem in the state, enabling the state to be among the leading startup destinations in the country.

3.2 To promote the startup ecosystem through positive interventions and catalytic programmes.

3.3 To achieve higher position in State startup ranking through innovation, skill development and investment opportunities.

4. Objectives

Main objectives of Madhya Pradesh Startup Policy and Implementation Scheme, 2025:

- Build a holistic startup ecosystem in Madhya Pradesh and enable the State to become one of the leading startup destinations across the nation.
- Aim to nurture the State's startup ecosystem through positive and transformative interventions.
- To increase the number of DPIIT recognised startups in the State to 10,000
- To propel 100 promising startups from agriculture and food sector towards significant growth
- Increase the number of product-based startups in the State.
- Establishing new incubation centers in priority areas and upgradation of existing incubation centers.
- To conduct special programmes at the school/college level to inculcate the spirit of innovation and startup among students.
- Develop a culture of solving socio-economic problem through innovation and startups.
- Aspire to excel in State Startup Ranking Framework by the Government of India and other competitive benchmarks.
- To provide extensive support to startups in the pre-startup stage and ideation stage.
- To encourage all the leading companies operating in Madhya Pradesh to support the state's startup ecosystem by providing access to corporate innovation,

infrastructure development, skill development, and investments as an integral part of their CSR activities.

5. Policy Focus Areas

The policy focuses on six pillars to achieve the objectives –

5.1 Promote innovation and entrepreneurship
5.2 Financial and Non-financial assistance
5.3 Promotion of product-based startups
5.4 Institutional support
5.5 Marketing support
5.6 Infrastructure Support

6. Term and Applicability of the Policy

This policy shall remain in force in Madhya Pradesh for a period of 5 years from the date of its notification, or until it is replaced by any other policy.

7. Definitions

7.1. **"Alternative Investment Fund (AIF)"** means a funding institution as defined under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.

7.2. **"Host Institute"** means any university, higher education institution, industrial establishment/smart city mission companies and State Government and Central Government Institutions located in Madhya Pradesh.

7.3. **"Incubator"** means an organization that supports startup at an early stage and help them develop a scalable business model by providing professional support, resources and services.

7.4. **"Madhya Pradesh Startup Advisory Council"** means the Advisory Council that will provide advise on necessary measures to build a strong startup ecosystem, and to promote innovation in the State, which will help the State's economy to thrive and create more jobs

7.5. **"Priority Sector"** refers to the sectors identified by the Department in Appendix-I as amended from time to time by the department that is innovative and future-oriented and has a substantial potential to contribute to economic development.

7.6. **"Product Based Startup"** means a startup which manufactures a product in an organized manner, having a physical size and the unit is registered for manufacturing activity under the Udyam Registration of the Government of India, and the manufacturing unit is established in Madhya Pradesh.

7.7. **"Prominent Advertising Platforms"** means the platforms listed under Appendix - II of the Policy.

7.8. **"Startup"** means an entity which is recognized by Startup India under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India and is registered/Incorporated in the State of Madhya Pradesh. In a startup promoted by SC, ST, Women, Divyangjan or Transgender category promoter, their ownership should not be less than 51%.

7.9. **"State Government"** – Department of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of Madhya Pradesh.

7.10. **"State Level Startup Empowerment Committee"** means the Committee constituted under the Chairmanship of the Chief Secretary for smooth implementation and supervision of the policy and for Startup Screening and Selection under the State Innovation Challenge.

7.11. **"Successful startup"** means that will fulfill any of the following conditions:

a. The startup should have received a total equity funding of at least ₹ 25 lakh from Category 1 or 2 SEBI registered Alternative Investment Funds or angel networks; or

b. Funding/Investment of at least ₹ 5 lakh from the Government of India or Government of Madhya Pradesh; apart from the grant or

c. The startup should have received a monthly revenue run rate of ₹ 10 lakh or more for the previous six months.

7.12. **"Technology Business Incubator (TBI)"** means an undertaking of universities, public research institutions, local administrations and private institutions working to promote and support technology oriented startups.

7.13. **"Trade Receivable Discounting System (TREDS)"** Platform means the Trade Receivable Discounting System as defined by the Reserve Bank of India and the approved institution for this purpose.

8. Startup Ecosystem Enablers

Institutional, marketing, financial and business facilitation are the pillars to develop the startup and incubator ecosystem and provide them with necessary support.

8.1 Institutional Support

8.1.1 Madhya Pradesh Startup Advisory Council

An Advisory Council will be constituted under the chairmanship of Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, to offer guidance on developing a strong foundation for startup and fostering innovation across the state. This initiative will help the State's economy to thrive and create more jobs. The council will include distinguished startup founders, investors, academician, promoters/senior executives of prominent large industries established in the state, leaders of IT sector, and other relevant stakeholders.

8.1.2 Specification and Expansion of Madhya Pradesh Startup Center

Madhya Pradesh Startup Center (MPSC) with executive head, subject experts will be strengthened, expanded and institutionalized under the aegis of Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam (MPLUN), so that the startups of the state can be provided with the necessary support and various programs can be conducted in collaboration with all the stakeholders. The center will continue to function as a dedicated agency to promote, strengthen and facilitate the startup ecosystem in the state.

Keeping in view the scope of Madhya Pradesh Startup Center, regional offices will be set up in Indore, Jabalpur, Ujjain and Gwalior or other cities as per the requirement. Madhya Pradesh Startup Center will be set up as a separate independent not-for-profit legal entity under Section 8 of the Companies Act, 2013 or a society registered under the Madhya Pradesh Societies Registration Act, 1973. In addition to this, the department will establish co-working spaces for startups in major cities of the state through its subordinate institutions. If needed, arrangements will be made with other departments of the State Government and their corporations to make the space available.

8.1.3 Objective of Madhya Pradesh Startup Center

i. To provide guidance and support to startups of the state.

ii. It will act as a single-window agency for startups and incubators and coordinate with all ministries of the central government and state departments.

iii. The center shall examine the application received through dedicated portal for assistance under the policy submitted by eligible startup, incubators and host institute. After proper examination of the eligible applications, the center shall present its report before the Managing Director, Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam for consideration, after due consideration the Managing Director, Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam will submit the eligible and completed cases along with the recommendation to the Principal Secretary, MSME, Govt. of MP. After final approval the assistance will be disbursed to the approved applicants through DBT (Direct Benefit Transfer) through Managing Director, Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam.

iv. Coordinating/continuous liaison with various departments of the State Government for necessary approvals for smooth functioning of the ecosystem.

v. It will review the status of startup ecosystem in the state and make necessary recommendations to the state government .

vi. The center aims to create and support entrepreneurship, innovation and startup culture in the state by promoting an innovation-driven start-up ecosystem, thus making Madhya Pradesh a self-reliant start-up and innovation hub.

vii. The center will facilitate startups to pitch/showcase their services/products across various investment, market and other related platforms.

viii. It will also support the startups by providing mentorship support and facilitate them to raise capital/other financing from the investors.

ix. Preparation of Master Database.

x. To provide various compliance related support to startups.

xi. Organizing boot camps, challenge competitions, road shows and

investor meets/workshops in and outside the state.

xii. Conduct pre-market studies and evaluations.

xiii. Redressal of complaints relating to any sanction/incentive and other issues as per the laid down procedure.

8.1.4 Strengthening the capacity of Madhya Pradesh Startup Center

To strengthen the capability of Madhya Pradesh Startup Center to support the growing startup ecosystem of the state, it is essential to further expand the team structure and onboard subject experts across key domains such as innovation, finance, incubation, business development, marketing, legal, compliance etc. For the effective implementation of the startup policy and programmes a dedicated Project Management Unit (PMU) will be set up under Madhya Pradesh Startup Center.

8.1.5 Establishment of Mega Incubation Center

The State Government is committed to fostering a structured environment for creativity and business growth, as well as promoting the spirit of startup and entrepreneurship within the state. To achieve this, a Mega incubation center will be established to provide startups with state-of-the-art facilities, expert guidance, funding avenues, design support, research capabilities, and networking opportunities. This initiative will be designed to empower startups to excel on both national and international stages. To develop and manage this Mega Incubation Center, leading institutions of national and international level will be invited through a public-private partnership model. Additionally, satellite centers connected to the main incubation center will be set up in other strategic locations across the state. The center will leverage the support & network of mentors onboarded by Govt. of India under its MAARG initative.

8.1.6 Support for revival

The Madhya Pradesh Startup Center will provide support to such startups facing operational difficulties due to financial constraints or other significant challenges. The center will provide mentorship and guidance to such startups to restructure their business models in collaboration with incubators and private sector partners.

8.2 Enhancing Startup Portal

The state's dedicated startup portal will be further strengthened for information dissemination and simplification, capacity expansion, mapping ecosystem activity and simplifying the application process for assistance under the policy. In addition to this, to make the information more accessible efforts will be made to develop a mobile app, a robust startup helpline on the lines of CM helpline, AI-based chatbot and establish dedicated IT cell.

8.3 Partnerships for Academic, Technical and Mentorship Support

To foster growth and provide technical support and guidance to startups, especially product-based startups in the state, they will receive necessary support from national and state level technical and management institutes/universities and other educational institutions. Madhya Pradesh Startup Center will collaborate with key technical Testing, Research and Development Support facilities including MSME Technology Center in Indore and Bhopal, National Institute of Design Bhopal, IISER Bhopal, IIITDM Jabalpur, NIFT Bhopal, IIT Indore, NIT Bhopal, IIM Indore, AIIMS Bhopal, ICMR, RRCAT Indore and other Central/State Universities, Colleges and Research Organization of repute.

All the relevant departments overseeing educational institutions shall make an effort to engage students in innovation and entrepreneurship, offering encouragement and support to interested and eligible students via the Student Innovation Fund under the Madhya Pradesh Yuva Niti. Atal Tinkering Labs will be established in as many schools as possible across the state with the support of the Government of India, which will awaken a spirit of innovation and entrepreneurship among students in secondary and higher secondary schools. Under the Government of India's Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises RAMP scheme (Raising and Accelerating MSME Performance Scheme), incubation centers will be set up in industrial training institutes, polytechnic colleges, engineering colleges, and other higher education institutions in every district of the state to promote innovation and entrepreneurship.

9. Financial Assistance to Startups

Eligible Startups and incubators seeking financial assistance under the policy will submit their applications through the designated portal. Madhya Pradesh Startup Center after a thorough examination of these applications, will present the applications along with a report, to the Managing Director of the Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam for consideration. After due consideration, the Managing Director will then submit eligible and complete cases, with recommendations, to the Principal Secretary, MSME Department, Govt. of Madhya Pradesh, for final approval. Once the final approval is granted, the assistance amount will be distributed to the applicants through Direct Benefit Transfer (DBT) by the Managing Director of the Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam. The assistance/support provided under the policy will be included under the "Madhya Pradesh Public Services Guarantee Act, 2010" to ensure delivery within the specified time frame.

9.1 General Financial Assistance to Startups:

9.1.1 Madhya Pradesh Startup Seed Fund Assistance

The selected startups will be provided with grant assistance up to a maximum of ₹ 30 lakh. This seed fund will be given to startups through empanelled incubators. Seed funds will be provided for manpower, professional services, consumables, hardware/ software/ raw material costs, manufacturing outsourcing, product testing, market research, market entry, commercialization or scaleup. The grant will not be used by the startup for any construction work, facility creation, land, property, or fixed capital investment. The disbursement of funding instalments will be contingent upon the progress of the startup as reported by the associated incubator.

9.1.2 Startup Investment (Capital) Fund

A Startup Capital Fund amounting to ₹100 crores will be set up by the State Government. The government plans to allocate a maximum of ₹50 crores to selected and empanelled AIFs (Alternative Investment Funds). These empanelled AIFs will, in turn, invest ₹100 crores in DPIIT recognised startups of Madhya Pradesh.

9.1.3 Assistance on Investment / Loan received.

Startups that have received funding, investments, or loans from financial institutions, banks, or alternative investment funds recognized by SEBI (Securities and Exchange Board of India) or RBI (Reserve Bank of India) will be provided with assistance at the rate of 15% of the received amount, up to a maximum of ₹ 15 lakhs. This assistance will be provided up to four times during the startup's lifetime as determined by Startup India, subject to a maximum limit of ₹ 60 lakh. The loan repayment period should not be less than one year. This support will also be payable upon receiving loans/CCD (Compulsorily Convertible Debentures) or equity under the schemes of the state and central government. However, it will not be payable for any kind of grant.

Startups established by SC, ST, women, persons with disabilities, or transgender entrepreneurs will receive an additional 3% assistance, i.e., a total of 18% assistance subject to a maximum of ₹ 18 lakh. This will be available four times, within the maximum limit of ₹ 72 lakh, as per the conditions mentioned.

9.1.4 Loan to Startup through bank under Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana

Under the Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana (MMUKY), startups will be provided with collateral-free loans through banks, by covering under the Government of India's "Credit Guarantee Scheme for Startups". The guarantee fee payable for Credit Guarantee Scheme for Startups at the prevailing rate will be reimbursed up to 5 years. Startup receiving loan under MMUKY will also be eligible for an interest subsidy reimbursement on the disbursed loan at the rate of 5 percent per annum (subject to a maximum of 5 years). Startups that secure loans under this scheme will also be eligible to receive assistance on loan received under section 9.1.3 of the policy document. MMUKY shall extend amended to the extent to enable collateral-free loan and interest subvention up to 5% to startups.

9.2 Operational Assistance to Startups:

9.2.1 Promoting Entrepreneurship - Entrepreneur-in-Residence (EIR) Assistance

Financial assistance of ₹ 10,000 per month per eligible startup up to 12 months within a 2-year period from the date of DPIIT recognition. The assistance aims to encourage students and working professionals to consider entrepreneurship as a viable career option by offering this support.

9.2.2 Product/Prototype Assistance

A Startup will receive reimbursement support covering 100% of the total expenses, up to a maximum of ₹15 lakhs per startup, for technology transfer, technology development, product development, product designing, branding and marketing consultancy, packaging consultancy etc. through State/Central Government owned/funded institutions/colleges/universities/scientific and industrial research organizations.

9.2.3 Patent Assistance

A reimbursement of 100% subject to a maximum of ₹5 lakh will be provided on obtaining patents in the name of startup. In addition, 100% reimbursement will be given for obtaining international patents, subject to a maximum limit of ₹20 lakh. This will cover all necessary government fees, and the cost of consultancy services required for obtaining a patent.

9.2.4 Lease Rental Assistance

Startups that have taken workspaces on lease or rent will receive 50% assistance on the rent paid each month for a period of three years, with a maximum cap of ₹10,000 per month. This support will be extended to product-based startups located in industrial areas/parks/clusters owned or assisted by the state government, covering the lease rent and maintenance charges incurred on leased land/sheds/premises. Additionally, the same assistance will be available for the workspace/seat rental fees paid by startups at incubation centers.

9.2.5 Online Advertising Assistance

Startups will be provided with 100% assistance for advertising expenses on prominent advertising platforms as per Annexure-II, up to a maximum limit of ₹ 3 lakhs for one year. A startup, recognized by DPIIT, incorporated not more than 2 years ago at the time of application can apply for this assistance. This assistance can be availed only once during the policy period by a startup. The list of other prominent advertising platforms as per Annexure-II may be updated from time to time by the Department.

9.2.6 Event Participation Assistance

Assistance will be provided on the expenditure incurred on travel, lodging, stall and participation fees etc. for startup related events as follows:

- Domestic Events – Reimbursement of 75% of expenditure for participation in startup focused domestic events within the country, subject to a maximum limit of ₹ 50,000.
- International Events - Reimbursement of 75% of expenditure for participation in startup-focused international events abroad, subject to a maximum limit of ₹ 1,50,000.

Processing of all claims for the startup assistance shall be online and shall be decided in the transparent and time-bound manner.

10. Special Package for Product-based Startups

10.1 Training Expense Reimbursement

In view of the need of technical and skilled workers to start-ups, the assistance of reimbursement of expenditure for skill development and training will be given to a maximum of 25 employees per new employee ₹ 13000 per year for three years. This assistance will be available only to the employees domiciled in Madhya Pradesh. Training and skill development shall be provided through state and central government recognised institutes. The training programs must be of minimum 1-month duration.

10.2 Employment Generation Assistance

All the new employees appointed by the employer in the product-based start-up unit in the first three years from the date of commencement of commercial production will

be eligible to get the benefit of assistance of ₹ 5000 per employee per month. The assistance period will be maximum 3 years and will be given to maximum 25 employees only. This assistance will be limited to a period of 5 years from the date of commencement of commercial production in the unit. This means that the new employee appointed in the third year will be eligible for employment generation assistance for the next two years from the date of his appointment. The said assistance will be subject to the following conditions.

Sr. No.	Time Period	Minimum average percentage of employment available to the natives of Madhya Pradesh out of total employed employees from the date of commencement of unit production
1	Within 1 year	50 %
2	Within 2 years	75 %
3	Within 3 years	90 %

If the above condition is not fulfilled, the employment generation assistance being provided to the unit will be deducted proportionately.

10.3 Exemption on Electricity Duty for Product Based Startups

All eligible new units having new electricity connection shall be exempted from electricity duty for 3 years from the date of connection.

10.4 Reimbursement Support for Electricity Tariff for Product Based Startups

Reimbursement assistance of ₹2 per unit will be provided to product-based startups for new electrical connections in the project. This assistance will be available for three years starting from the date of commercial production.

Processing of all claims for the startup assistance shall be online and shall be decided in the transparent and time-bound manner.

10.5. The benefits of the facilities provided in the prevailing MSME Development Policy, subject to the conditions as per the prevailing policy.

11. Financial assistance to Incubators

Terms & Condition for the Incubator:

i. The Incubator shall be a legal entity which is (a) a society registered under the Societies Registration Act, 1860 or the Madhya Pradesh Societies Registration Act, 1973 or (b) a trust registered under the Indian Trust Act, 1882 or (c) A private limited company registered under the Companies Act, 1956 the Companies Act, 2013 (Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013) or a company registered under Section 8 of the Companies Act, or (d) A statutory body created through a legislative act.

ii. The incubator should have a adequate facility to accommodate a minimum of minimum 20 incubatees.

iii. The incubator should have a full-time head/CEO with experience in business development and entrepreneurship, who will be supported by a competent team that will be responsible for guiding the startups in testing and validating ideas as well as for finance, legal, marketing, human resource or any other relevant functions.

iv. The incubator must have a furnished and well-equipped space of at least 5000 sq ft (built-up area).

v. It will be mandatory for the incubator to be registered/incorporated, established and operated in Madhya Pradesh.

vi. The incubator must be in operation for the last 2 financial years and will be required to submit annual report and audit report for the last 2 years.

vii. At the time of applying for any assistance under the policy, the incubator must have physically incubated at least 5 MP based DPIIT recognised startups.

viii. The incubator must reserve a minimum of 50% of its total seating space for DPIIT recognised startups.

ix. Incubator must be financially assisted by Centra/State government for its establishment. Incubators established with the financial support of state or central government will be relaxed for a 2-year period of existence.

11.1 Assistance for setting up a new Incubator Center

Host institutions will be provided with capital support for establishing new incubators equipped to accommodate a minimum of 20 incubates and a built-up area of at least 5000 square feet. The following capital assistance will be granted:

- The government/semi-government and government-funded host institute will be eligible to receive 100% capital assistance grant of capital investment (excluding land and building cost) subject to a maximum of ₹ 50 lakh for setting up an incubator center.

- The private host institute will be provided 50% capital assistance grant of capital investment (excluding land and building cost) for setting up an incubator center, subject to a maximum of ₹ 50 lakh.

11.2 Event Organising Assistance to Incubation Center

For organizing events related to startups, incubators based in Madhya Pradesh will be provided with a reimbursement of up to ₹5 lakhs per event, subject to an annual limit of ₹20 lakhs in total assistance, which will not exceed the amount contributed by the incubator.

11.3 Incubation Center Upgradation Support

To assist Incubation Centers in upgradation, financial aid will be provided for 50% of the cost incurred in purchasing essential machines/equipment like fab lab instruments, 3D printers, and related operational software, subject to maximum of ₹10 lakhs. Each incubation center can avail this support maximum up to 2 times within the duration of the policy.

11.4 Incubation Center Land Allotment

For the establishment of Manufacturing-based Incubation Centers, provisions will be made to allotted land at the same rates as industries under the prevailing Departmental Industrial Land Allotment Rules in the notified industrial areas of the Department to Manufacturing-specific incubation centers, who are registered under Section 8 and is a non-profit organization established under the Companies Act, 2013.

Processing of all claims for the incubator assistance shall be online and shall be decided in the transparent and time-bound manner.

12. Special Programs for Startups

12.1 State Innovation Challenge

Special Financial Assistance will be provided to the selected concept for redressal of four high-impact economic-social problems of the state. For this, concepts will be invited from all types of institutions (including Start-ups) and they will be circulated to all the concerned departments for their views. The concepts on the recommendation of the departments will be placed before the Screening/Selection and Empowered Committee constituted in this context under the chairmanship of the Chief Secretary. The committee will select four best concepts based on the specificity, merits and demerits of the above concepts and problem-solving ability. The evaluation and monitoring of selected start-ups will be done by MP Startup Center in consultation with subject matter experts. The nature of assistance will be as follows:

- A grant amount of a maximum up to ₹ 1 crore, which will be provided in a maximum of four phases or as per the decision decided by the empowered committee. The selected startups will be evaluated, monitored and evaluated by MP Startup center in consultation with subject matter experts based on the work done by them.
- Exemption or reimbursement and ex-post facto clearance from all necessary license/consent charges.
- Procurement Assistance in state for two years. If found suitable, the provisions of Madhya Pradesh Store Purchase and Service Procurement Rules, 2015 (with amendments from time to time) can be relaxed.
- All the selected solutions will be mapped to state government owned incubators for R&D support, lab usage, utilization of facilities, office space and meeting arrangements and regular monitoring..
- If a product-based start-up is selected, then it will also be able to get the benefits of the facilities provided for product-based start-ups in the policy.

12.2 Madhya Pradesh Startup Center Acceleration Program

Acceleration programs are in-depth mentoring sessions lasting a minimum of 12 weeks, aimed at helping startups evolve from concept to product launch and advance to the growth phase quickly. For each program, the empanelled incubator will receive up to ₹15 lakhs in financial assistance to support up to 15 startups.

12.3 Madhya Pradesh Startup Center Hackathon Program

Departments will publish problem statements related to state-specific or theme-based issues, inviting startups to develop innovative solutions. Selected startups will be eligible for financial assistance of up to ₹5 lakhs per startup.

12.4 Madhya Pradesh Startup Ecosystem Award

The Madhya Pradesh Startup Ecosystem Awards will be presented in various categories to recognize and honour exemplary startups, incubators, and other leading stakeholders.

12.5 Startup Event

The Madhya Pradesh Startup Center will organize and support networking events such as conferences, trade shows, meetups, boot camps, mentoring sessions, startup mela, demo days, investor days, startup yatra, startup exchange programs, and a state-level startup conclave to bring startups, investors, mentors and stakeholders together on one platform.

13. Power of the Government

- Startups and incubators will be provided with support and assistance under the policy in accordance with the procedures and guidelines issued by the Madhya Pradesh Government's Department of Micro, Small and Medium Enterprises. Any amendments to the procedures and guidelines will be made with administrative approval from the department. In the event of any printing errors, factual inaccuracies, or discrepancies between the Hindi and English versions, the Hindi version shall be deemed authoritative.

- Subject to the provisions under the policy, the Government of Madhya Pradesh, Department of Micro, Small and Medium Enterprises at any time –

- May amend or repeal this policy.
- May relax the provisions of this policy.
- May issue directions/clarification/guidance to clarify the provisions of the policy.

- Madhya Pradesh Startup Policy and Implementation scheme 2022, shall become ineffective from the date of coming into force of this policy.

14. Jurisdiction

In case of any dispute, the jurisdiction will be in Madhya Pradesh.

Appendix-I List of Priority Sector

1. Agriculture & Food Processing & Technology
2. Animation, Visuals, Graphics, Extended Reality, and Gaming
3. Biotech & Life Sciences
4. Bioprinting, Organoids, Genetic Engineering, Human Augmentation, Biodynamics and Brain-Computer Interface (BCI)
5. Circular Economy Based
6. DeepTech
7. Mobility
8. New Energy Technologies
9. Quantum Technology
10. Tourism

Appendix-II Prominent Advertising Platforms

1. Amazon
2. Flipkart
3. Google
4. Meta

Government of Madhya Pradesh

Department of Micro, Small and Medium Enterprises

Madhya Pradesh Startup Implementation Scheme, 2025

1. Preface

To promote innovation and startup ecosystem for young entrepreneurs in the state, the Government of Madhya Pradesh has launched the "Madhya Pradesh Startup Policy and Implementation Plan 2025". To provide various assistance to incubator and startups as per the policy provision effective from the policy notification date, "Madhya Pradesh Startup Implementation Scheme 2025" is being implemented.

2. Period and scope of implementation of the scheme

- This scheme will be effective from the date of notification and will be effective in the whole of Madhya Pradesh till it is amended or superseded by the Government.
- Startups / Incubators / Host Institute will be eligible to get assistance under this scheme. In the case of Manufacturing/Product based startups, the units which start commercial production after the date of notification will be eligible to get the benefit of the facility under this policy.
- Startups, incubators, and host institutions that were established before the date of this notification will be eligible for assistance as per the Madhya Pradesh Startup Policy, 2022, or earlier policies. Resolutions for such cases will be handled according to the previous policies. However, these entities will also be eligible for assistance related to investment/loans, patent support, event participation, online advertising, and the State Innovation Challenge. Additionally, special financial support for the establishment of new incubator centers, .event assistance for incubation centers, and incubation center upgrade support; specific financial aid for product-based startups under the Madhya Pradesh MSME Development Policy; and special startup programs including the Madhya Pradesh Startup Acceleration and Hackathon Programs, Startup Capital Fund, Madhya

Pradesh . Startup Seed Grant Assistance, Madhya Pradesh Startup Ecosystem Awards, and support for startup events will be available to those established/incorporated before the Madhya Pradesh Startup Policy and Implementation Plan 2025 comes into effect.

- Various committees formed to avail the facility/assistance to the startups/incubators under the earlier/prevailing policy(s) shall be dissolved and disposal of cases received/sanctioned under the earlier policy(s) will be done as per the procedure laid down in the "Madhya Pradesh Startup Implementation Scheme, 2025".

3. Procedure for Implementation

a. State Level Empowered Committee

The constituents of the State Level Empowered Committee under the Chairmanship of the Chief Secretary for smooth implementation and supervision of the policy and monitoring the progress of startups for the State Innovation Challenge will be as follows :

S.No.	Details of Office Bearers	authority
1.	Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh	Chairman
2.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Finance Department	Member
3.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Commercial Taxes Department	Member
4.	Additional Chief Secretary / Principal Secretary, Urban Development and Housing Department	Member
5.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Department of Science & Technology	Member
6.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister	Member
7.	CEO, Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, Bhopal	Member

8.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Micro, Small and Medium Enterprises Department	Member Secretary
9.	Other invited members as needed	Member

b. The evaluation process for assistance to startups, incubators, host institutions, Grand Innovation Challenge participants, and innovators (all referred to collectively as 'unit') under this policy is as follows:

- Applications for assistance under the scheme should preferably be submitted online by the authorized representative of the unit through the Startup MP portal/Madhya Pradesh Startup Center in the prescribed format.
- The Madhya Pradesh Startup Center will conduct a thorough review of the received applications and, after due diligence, present the matters related to assistance, along with its report, to the Managing Director of the Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam for consideration.
- After consideration, the Managing Director Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam will present the recommended application to the Principal Secretary, MSME. Upon the Principal Secretary's approval, orders for the financial assistance provided under the policy will be issued and disbursed through Direct Benefit Transfer (DBT) by the Managing Director, Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam. The assistance/support provided under the policy will be included under the "Madhya Pradesh Public Services Guarantee Act, 2010" to ensure their delivery within the specified time.
- For the first time all the assistance under the scheme will be approved by the Principal Secretary, MSME. Thereafter, the instalments of the sanctioned assistance will be received automatically as per the eligibility, without the approval of the Principal Secretary, MSME.
- If any such technical point comes to the notice of the Principal Secretary MSME, which requires decision to be revised then the Suo motu cognizance may be taken up and the decision must be communicated to the concerned unit within 30 days.

4. Appeal

An appeal against the decision of the Principal Secretary, MSME shall lie before the Administrative Department within 90 days from the date of receipt of the decision, the

department may condone the delay (if any) on merits. The decision of the Administrative Department shall be final.

5. Powers to Prepare Explanation/Guidance/Application Form

The detailed guidelines, standard operating procedure (SOPs) and forms for approval/sanctions of assistance under the policy to startups/incubators/host institute /grand innovation challenge etc. would be issued separately by the Department of MSME, Govt. of MP.

6. Amendments/Exemptions/Repeals

Notwithstanding anything contained in the provisions of the scheme, the Government of Madhya Pradesh, the Department of Micro, Small and Medium Enterprises shall at any time:

- Amend or repeal of this scheme.
- May relax the provision of this scheme.

7. Court Jurisdiction

In case of any dispute, the jurisdiction shall be within the State of Madhya Pradesh.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

क्रमांक: एफ– 0092/2025/1/65:: राज्य शासन एतद द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 22 फरवरी 2025 से "**मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2025**" जारी की गयी है।

उक्त "मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2025" दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रभावशील मानी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, उपसचिव.